महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 .2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/विद्या परिषद्-23/2024/ 4415 दिनांक : 9/7/24

समस्त माननीय सदस्य
विद्या परिषद्
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
बीकानेर।

विषय :- विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 26-06-2024 को आयोजित विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण 3648 दिनांक 28-06-2024 के द्वारा भिजवाया गया था। उक्त कार्यवाही विवरण में विनिर्णय संख्या 29 में निर्णित शोध संबंधी फीस में आंशिक संशोधन सहित अंतिम रूप से कार्यवाही विवरण संलग्न सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः कार्यवाही विवरण।

भवदीय,

(अरविन्द बिश्नोई)
कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 .2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

विद्या परिषद् 23 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 26-06-2024 को प्रातः 11:30 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	**आचार्य मनोज दीक्षित, माननीय कुलपति**	अध्यक्ष
2	आचार्य इन्द्रसिंह राजपुरोहित, संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
3	आचार्य इन्द्रा गोस्वामी, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य
4	आचार्य भगवानाराम विश्नोई, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
5	डॉ. सतपाल, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
6	डॉ. पंकज जैन, संकायाध्यक्ष प्रबन्धन	सदस्य
7	डॉ. अरविन्द कुमार बाजपेयी माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
8	आचार्य, स्मिता जैन, संयोजक-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
9	आचार्य ए.के. सक्सेना, सदस्य - रसायनशास्त्र	सदस्य (ऑनलाइन)
10	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक-कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
11	आचार्य अनिल कुमार छंगाणी, संयोजक-पर्यावरण विज्ञान	सदस्य
12	आचार्य देवेश खण्डेलवाल, संयोजक-भूगर्भ विज्ञान	सदस्य
13	आचार्य रचना माथुर, संयोजक-गणित	सदस्य (ऑनलाइन)
14	आचार्य एम.डी. शर्मा, संयोजक-भौतिक विज्ञान	सदस्य
15	आचार्य राजेन्द्र पुरोहित, संयोजक-प्राणीशास्त्र	सदस्य
16	आचार्य दिव्या जोशी, संयोजक-अंग्रेजी	सदस्य
17	आचार्य अन्नाराम शर्मा, संयोजक-हिन्दी	सदस्य
18	आचार्य नन्दिता सिंघवी, संयोजक -संस्कृत	सदस्य
19	आचार्य सुमित्रा चारण, संयोजक-दर्शनशास्त्र	सदस्य (ऑनलाइन)
20	आचार्य पुष्पेन्द्र सिंह, संयोजक-भूगोल	सदस्य (ऑनलाइन)
21	आचार्य ज्योति कपूर, संयोजक-अर्थशास्त्र	सदस्य
22	आचार्य अभिलाषा आल्हा, संयोजक-गृह विज्ञान	सदस्य
23	प्रो. वी.एन. सिंह, संयोजक-विधि	सदस्य

24	आचार्य नरेन्द्र नाथ, संयोजक-राजनीति विज्ञान	सदस्य
25	आचार्य चन्द्रशेखर कच्छावा, संयोजक- इतिहास	सदस्य
26	डॉ. मीनू तंवर, संयोजक -समाजशास्त्र	सदस्य (ऑनलाइन)
27	डॉ. चन्द्रशेखर रंगा, संयोजक-ए.बी.एस.टी.	सदस्य
28	डॉ. राधा सोलंकी, संयोजक-व्यवसायिक प्रशासन	सदस्य
29	डॉ. सुधीर रूपाणी, संयोजक-शिक्षा	सदस्य (ऑनलाइन)
30	डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक-शारीरिक शिक्षा	सदस्य
31	आचार्य आस्मा मसूद, संयोजक-उर्दू	सदस्य (ऑनलाइन)
32	डॉ. आसित गोस्वामी, संयोजक-संगीत	सदस्य
33	डॉ. धर्मेश हरवानी, संयोजक-जैव तकनीकी	सदस्य
34	डॉ. अमर सिंह, संयोजक-सैन्य विज्ञान	सदस्य (ऑनलाइन)
35	डॉ. संदीप सिंह, संयोजक-पंजाबी	सदस्य
36	श्री उमेश शर्मा, संयोजक-पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	सदस्य
37	श्री जलेन्द्र सिंह, संयोजक-मनोविज्ञान	सदस्य
38	डॉ. मनीष तंवर, संयोजक-एम.बी.ए.	सदस्य
39	डॉ. मेघना शर्मा, कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य
40	श्री हरि सिंह मीना, कुलसचिव	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित हुए :-

1. डॉ. अभिषेक वशिष्ठ, निदेशक, शोध, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
2. प्रो. राजेश भाकर, अध्ययन बोर्ड सदस्य- भूगोल।
3. प्रो. अच्छन राठौड़, अध्ययन बोर्ड सदस्य- लोक प्रशासन।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव श्री हरिसिंह मीना द्वारा विद्या परिषद् की विशेष बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया।

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार मद प्रस्तुत किये गए जिन पर विद्या परिषद् सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

मद संख्या	मद
01	दिनांक 21–08–2023 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।
निर्णय	**विनिर्णय संख्या 07 के बिन्दु संख्या 03 पर विद्या परिषद् द्वारा पूर्व में गठित समिति से 07 दिवस में निर्णय कराने हेतु निर्देशित करते हुए शेष समस्त बिन्दुओं की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद् द्वारा पूर्व में गठित समितियों की बैठक आयोजित नही हो पाई है उसके लिए अतिरिक्त कुलसचिव, शैक्षणिक को शीघ्रातिशीघ्र**

	बैठक आयोजित कराने के लिए निर्देशित किया गया।
02	दिनांक 17—05—2023 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**
03	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा संकायाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति की गई। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**
04	सत्र 2023-24 एवं आगामी सत्र 2024-25 के लिए तैयार करवाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की नीति तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 20767-72 दिनांक 11-03-2024 की पालना में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव/अनुशंसा 01-05-2024 विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**
05	विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव :-
निर्णय	**अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुशंषाओं का अनुमोदन किया गया। साथ ही राजस्थानी, पंजाबी, पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा अध्ययन बोर्ड द्वारा उपरोक्त विषयों अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में की गई अनुशंसा पर अधिष्ठाता, विषय संयोजक एवं परीक्षा नियंत्रक की समिति गठित कर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक सप्ताह में निर्णित करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। समस्त पाठ्यक्रम संयोजकों को 15 दिवस में पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।**
06	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रवेश—नीति 2024—25 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश नीति-2024-25 को अंगीकृत किया गया। जिन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियम है, उनमें विश्वविद्यालय के नियम तथा शेष के लिए राज्य सरकार की प्रवेश नीति के नियम प्रभावी होगे। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु नियामक संस्था द्वारा जारी अर्हताओं के अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश प्रभावी होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर जारी नियमों को इकजाई करते हुए महाविद्यालयों को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**
07	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023—24 में 14 नवीन महाविद्यालयों (सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय	**पुष्टि की गई।**
08	प्रतिवेदित है कि सत्र 2023–24 में एम.ए. उत्तरार्द्ध अंग्रेजी वार्षिक स्कीम के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में राजस्थानी विषय को शिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित की गई । उपरोक्त के संदर्भ में जारी आदेश 19985 दिनांक 24–02–2024 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
09	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू द्वारा सत्र 2022–23 में स्नातक विज्ञान एवं स्नातक कला में उर्दू विषय में नवीन सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन किये बिना ही अपने स्तर पर विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान कर परीक्षा आवेदन भरवाये गए। विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई गई। तत्समय महाविद्यालय द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण उनका निरीक्षण भी नहीं हो सका। राजकीय महाविद्यालय होने के कारण विशेष परिस्थितियों में सत्र 2022–23 से स्नातक विज्ञान एवं स्नातक कला में उर्दू विषय में नवीन सम्बद्धता की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**
10	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सूक्ष्मजीव विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, बैचलर ऑफ लाईब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में निर्धारित सीटों में अभिवृद्धि करते हुए सत्र 2023–24 से आदेश संख्या 10275–283 दिनांक 24–08–2023 के द्वारा सीटों का निर्धारण किया गया। उक्त आदेश विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**
11	शोधार्थी सरोज शर्मा, विषय शिक्षा, के द्वारा शोध पर्यवेक्षक डॉ. मीनाक्षी मिश्रा के निर्देशन में दिनांक 28.12.2013 से शोध कार्य प्रारम्भ किया गया। शोधार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2019 को शोध प्रबन्ध अनुभाग में जमा करवा दिया गया। शोध प्रबन्ध जांच हेतु दो बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गये। एक परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में संशोधन हेतु लिखा गया। संशोधित शोध प्रबन्ध की जांच पश्चात् उसी परीक्षक द्वारा पुनः शोध प्रबन्ध में संशोधन की अनुशंषा की गई। विश्वविद्यालय के प्रभावी शोध अध्यादेश 124 में उक्त स्थिति जिसमें एक बाह्य परीक्षक द्वारा दो बार संशोधन की अनुशंषा की गई हो, के संबन्ध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा छात्रहित में निर्णय लेने हेतु परीक्षक द्वारा सुझायें गए संशोधन सहित शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत पैनल में से अन्य परीक्षक को नियुक्त कर शोध प्रबन्ध**

	भेजने का निर्णय लिया गया।
12	शोधार्थी मोहम्मद यासीन, विषय उर्दू के द्वारा शोध पर्यवेक्षक डॉ. मोहम्मद हुसैन के निर्देशन में दिनांक 11.05.2018 से शोध कार्य प्रारम्भ किया। शोधार्थी ने पांच वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 30.04.2023 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए शोध कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एक वर्ष का समय विस्तार हेत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा दिनांक 06.05.2023 की पालना में एक वर्ष अतिरिक्त समायावधि विस्तार दिया गया। उक्त अवधि (5+1 वर्ष) तक शोधार्थी ने शोध प्रबन्ध जमा नहीं करवाया। तत्पश्चात् शोधार्थी ने दिनांक 07.05.2024 को स्वास्थ्य कारणों (स्लिप डिस्क) का हवाला देते हुए शोध कार्य पूर्ण करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। ज्ञातव्य है कि शोध अध्यादेश 124–डी–8 के अनुसार एक वर्ष की समयावधि विस्तार के पश्चात् शोध कार्य करने की अधिकतम अवधि समाप्त होने के उपरान्त शोध पंजीयन निरस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा छात्रहित में निर्णय लेने हेतु 6+6 माह कुल एक वर्ष का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया।**
13	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2275 दिनांक 29–11–2023 के द्वारा पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा –2023 हेतु सामान्य/ओबीसी क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 3000/– एवं शेष श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 2500/– शुल्क विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्धारित किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**
14	शोधार्थी रीतिका भाटी, विषय पर्यावरण विज्ञान के द्वारा शोध पर्यवेक्षक प्रो. अनिल कुमार छंगाणी के निर्देशन में दिनांक 26.09.2016 से शोध कार्य प्रारम्भ किया। शोधार्थी के पांच वर्ष दिनांक 25.09.2021 को पूर्ण हो गए। कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी पब्लिक नोटिस की अनुपालना में शोधार्थी को शोध प्रबन्ध जमा कराने हेतु दिनांक 30.06.2022 तक समयविस्तार प्रदान किया गया। तदुपरान्त माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा दिनांक 29.11.2022 की पालना में शोध कार्य पूर्ण करने हेतु एक वर्ष अतिरिक्त समायावधि विस्तार दिनांक 30.06.2023 तक दिया गया। कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार शोध पर्यवेक्षक (जो कि तत्समय निदेशक शोध भी थे) द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षक पैनल में से शोध प्रबन्ध जांच सहमति हेतु दो बाह्य परीक्षकों को शोध सार दिनांक 28.07.2023 को भिजवा दिया गया। तत्कालीन उप कुलसचिव द्वारा कार्यालय टिप्पणी पर शोधार्थी का शोध प्रबन्ध दिनांक 16.08.2023 तक शोध अनुभाग में जमा कराने संबंधी टिप्पणी के उत्तर में कार्यालय द्वारा दिनांक 16.08.2023 तक शोधार्थी का शोध प्रबन्ध शोध अनुभाग में जमा नहीं होना अंकित कियां गया है। शोधार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2023 तक शोध प्रबन्ध शोध अनुभाग में जमा नहीं करवाया जाना तत्कालीन उप कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्ति रजिस्टर में लाल पैन से अंकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शोधार्थी द्वारा शोध प्रबन्ध जमा कराने की निर्धारित फीस 12000/– चालान संख्या 9015 दिनांक

	28.06.2023 को विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी गई थी। जिसकी सूचना शोध अनुभाग को दिनांक 30.06.2023 को प्रेषित की गई। तत्कालीन निदेशक शोध (जो कि शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक भी है) ने पत्रावली के पैरा सं. 53/एन में उल्लेख किया है कि शोधार्थी द्वारा शोध प्रबन्ध उन्हें दिनांक 30.06.2023 को जमा करवा दिया गया था परन्तु शोध प्रबन्ध का कवर नियमानुसार नहीं होने के कारण उसे पुनः नियमानुसार प्रस्तुत करने के लिए शोधार्थी को निर्देशित किया गया था। कवर परिवर्तन उपरान्त शोध प्रबन्ध को निदेशक शोध ने अपनी अलमारी में रख दिया था। तत्कालीन शोध निदेशक ने वर्तमान शोध निदेशक को दिनांक 03.11.2023 को एक सील्ड पैकेट उपलब्ध करवाया जिसमें उक्त शोधार्थी के शोध प्रबन्ध की प्रतियां होना बताया गया। दिनांक 27.05.2024 को सील्ड पैकेट खोलने पर शोध प्रबन्ध की चार प्रतियां प्राप्त हुई जिस पर उक्त प्रकरण विद्या परिषद के निर्णयाधीन होने के कारण शोध अनुभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा छात्रहित में निर्णय लेते हुए शोध प्रबन्ध पर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गए।**
15	दिव्यांग शोधार्थी दिनेश चतुर्वेदी, विषय राजनीति विज्ञान के द्वारा शोध पर्यवेक्षक डॉ. कमलेश तायल के निर्देशन में दिनांक 23.11.2018 से शोध कार्य प्रारम्भ किया। शोधार्थी के पांच वर्ष दिनांक 22.11.2023 को पूर्ण हो गए थे। शोधार्थी के पत्र दिनांक 06.03.2024 (कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 11.03.2024) के द्वारा सूचित किया कि उसका शोध कार्य जून 2023 में पूर्ण हो गया था। हालांकि शोधार्थी द्वारा उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया कि शोध पर्यवेक्षक डॉ. कमलेश तायल अगस्त 2020 को सेवानिवृत्ति पश्चात भारत से बाहर है। उक्त पत्र के क्रम में शोध पर्यवेक्षक से वस्तुस्थिति जानने के क्रम में शोध अनुभाग द्वारा डॉ. कमलेश तायल को दिनांक 23.03.2024 को ईमेल प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में डॉ. तायल ने सूचित किया कि वे लगभग विदेश में शिफ्ट हो गई है। शोध पर्यवेक्षक ने सूचित किया कि शोधार्थी ने अपना शोध कार्य पूर्ण नहीं किया है तथा दो अधूरे अध्यायों के साथ मात्र एक बार उनसे सम्पर्क किया है। तत्पश्चात् शोधार्थी ने प्रासंगिक सामग्री के साथ उनसे कभी भी सम्पर्क नहीं किया। इस परिस्थिति में वे शोधार्थी को शोध कार्य में किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकती। ज्ञातव्य है कि दिनांक 22.11.2023 को शोध कार्य के पांच वर्ष पूर्ण होने के लगभग सात माह पश्चात् भी शोधार्थी ने शोध कार्य में समयावधि विस्तार हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। शोधार्थी पर प्रभावी शोध अध्यादेश 124 के प्रावधान D-6 *"After completion of five years ordinarily the period shall not be extended except in exceptional circumstances where an extension of maximum of one year may be permitted by the Vice Chancellor on the recommendation of the supervisor routed through the Head of University Department/Principal of the concerned college. On expiry of the extended period, the registration of the candidate shall automatically stand cancelled"* उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा छात्रहित में निर्णय लेते हुए शोधार्थी द्वारा वर्तमान समय तक किये गए शोध कार्यो की पुष्टि कराते हुए आगामी कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को**

	अधिकृत किया गया।
16	प्रतिवेदित है कि शोध अनुभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले दैनिक कार्यों के सुचारू सम्पादन एवं पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया के सम्पादनार्थ विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 101 के प्रावधान 16 (i) *"University may add provisions, necessary for the University, not covered above. University will form all such ordinances and bodies necessary for smooth running of Ph.D. programme such as Departmental Research Committee (DRC), Research Board etc. The Composition, tenure and eligibility of members for DRC/ Research Board/ any other body, shall be approved by Academic Council of the University".* के क्रम में मानक संचालन प्रक्रिया एवं प्रावधान, पीएच.डी. कोर्सवर्क की प्रक्रिया एवं प्रावधान विभिन्न प्रपत्र तथा विभिन्न समितियों के गठन हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2187 दिनांक 17.11.2023 द्वारा संकायाध्यक्षों की समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंषानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 2265 दिनांक 24.11.2023 के द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया एवं प्रावधान, पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा तथा कोर्सवर्क का पाठ्यक्रम, विभिन्न समितियों के गठन का प्रस्ताव तथा विभिन्न प्रपत्र अधिूसचित किए गए। उक्त अधिसूचना की निरन्तरता में अधिूसचित किए गए समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार पूर्व में प्रवेशित शोधार्थियों (एमपीसीईटी 2018) के संबन्ध में भी प्रयोग में लिया जाना विश्वविद्यालय संशोधित अधिसूचना क्रमांक 2411 दिनांक 13.12.2023 द्वारा अधिूसचित किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश पुष्टि की गई।**
17	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पब्लिक नोटिस क्रमांक 140648 दिनांक 27.03.2024 में National Eligibility Test as an Entrance Test to Ph.D. के बारे में दिशा निर्देश दिए गए है। उक्त पब्लिक नोटिस द्वारा यूजीसी ने इसके अनुरूप पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया अपनाने हेतु लिखा है। इस संबन्ध में लेख है कि विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 101 के बिन्दु संख्या 16—IV *"Any amendment in UGC regulation 2016 or new regulation by UGC for Ph. D. program as adopted by State Government shall also be incorporated as it is by the University after approval from competent authorities (Academic Council and Board of Management).* के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पब्लिक नोटिस अंगीकृत करने से पूर्व इसे राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय ने उक्त पब्लिक नोटिस के संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही एवं मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को पत्र क्रमांक 571 दिनांक 29.05.2024 प्रेषित किया है। राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने के पश्चात् विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने के उपरान्त विद्या परिषद् के स्तर से अनुमोदन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**
18	विश्वविद्यालय द्वारा पीईटी 2023 में सफल अभ्यर्थियों हेतु कोर्सवर्क का संचालन किया जाना हैं जिसमें लगभग 550 अभ्यर्थी सम्मलित होगें। कोर्सवर्क हेतु प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24.11.2023 को अधिसूचित "मानक संचालन प्रक्रियाएं एवं

	प्रावधान" में निर्धारित किए जा चुके है। कोर्सवर्क में सम्मलित होने वाले अभ्यर्थियों में से कई बीकानेर से बाहर के है एवं कई अन्यत्र कार्यरत है। ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कोर्सवर्क हेतु आयोजित होने वाली कुछ कक्षाओं को ऑफलाइन एवं कुछ को ऑनलाइन आयोजित करवाए जाने के संबन्ध में प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा शोधार्थियों को कोर्सवर्क करने हेतु ऑफलाइन के साथ-साथ दिशा-निर्देश तैयार कर सक्षम अनुमोदन उपरान्त ऑनलाइन माध्यम करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।**
19	पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2023 के साक्षात्कार दिनांक 06.05.2024 से 14.05.2024 के मध्य आयोजित किए गये थे। कुछ अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में अनुपस्थित थे द्वारा पुनः साक्षात्कार आयोजित करने का निवेदन किया गया है। साक्षात्कार हेतु जारी सूचना में स्पष्ट अंकित किया गया था कि किसी भी स्थिति में साक्षात्कार पुनः आयोजित नहीं किए जाएंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर असहमति प्रदान की गई।**
20	प्रतिवेदित है कि प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 31–05–2024 के अनुसरण में राजस्थान सरकार के सेन्टर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एण्ड पॉलिसीज (CRISP) के सहयोग से विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के चयनित राजकीय महाविद्यालयों में रिटेल, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लाइफ साइंसेज आदि रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप और उद्योग कौशल को नए सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों (AEDPs) में शामिल किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) द्वारा डिजाइन किये गए पाठ्यक्रम तथा यूजीसी के क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आधारित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने है। आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में चिन्हित राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवंटित व्यवसायिक पाठ्यक्रम (सूची संलग्न) को संबंधित महाविद्यालय में संचालित करने/प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 2768–74 दिनांक 07–06–2024 के द्वारा सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा आदेश की पुष्टि की गई**
21	परीक्षा वर्ष 2024–25 से प्रति सेमेस्टर राशि रू. 50/– परीक्षा शुल्क में अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
22	सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, पाठ्यक्रमों का प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**
23	प्रतिवेदित है कि सत्र 2023–24 से स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के कारण उनकी परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर आयोजित करवाई गई।

	विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 12863–69 दिनांक 14–12–2023 के द्वारा पी.ई.टी. प्रश्न पत्र निर्माण मय उत्तर कुंजी तथा सेमेस्टर परीक्षाओं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र निर्माण हेतु मानदेय का निर्धारण विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्धारित किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**
24	प्रतिवेदित है कि **स्नातक स्तर प्रथम** सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा में महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ को बाह्य प्रायोगिक परीक्षक मानते हुए मानदेय के भुगतान की स्वीकृति विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई। उक्त स्वीकृति पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**
25	प्रतिवेदित है कि समिति के माध्यम से नियमावली तैयार करवाकर स्नातक स्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा–दिसम्बर, 2023 का परीक्षा परिणाम तैयार करवाया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंषा को विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिनियम, 2003 के प्रावधानानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**आदेश की पुष्टि की गई।**
26	विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 23157 दिनांक 16–08–2016 के द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षात्मक कार्यो हेतु मानदेय का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में शिक्षक संघों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यो के माध्यम से परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त होने वाले केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, लिपिक एवं सहायक कर्मचारी के परीक्षात्मक कार्य के मानदेय में अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर ने भी उपरोक्त परीक्षात्मक कार्यो हेतु मानदेय में अभिवृद्धि की गई है जिसके आदेश संलग्न प्रस्तुत है। इस विश्वविद्यालय में केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, वीक्षक एवं लिपिक के परीक्षात्मक मानदेय में अभिवृद्धि का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, वीक्षक लिपिक एवं सहायक कर्मचारियों के परीक्षात्मक मानदेय में अभिवृद्धि करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किये गए :-**

01	02	03	04	05	06	07	08
क.सं.	कार्य का विवरण	वर्तमान निर्धारित दर (Per day one session of 3 hrs.)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (Per day two session of 3 hrs. each)	अभिवृद्धित दर	वर्तमान निर्धारित दर (Per day three session of 3 hrs. each)	अभिवृ[illegible]
1	केन्द्राधीक्षक	300/–	450/–	500/–	750/–	700/–	1000/
2	अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक	200/–	300/–	350/–	550/–	500/–	700/–
3	सहायक केन्द्राधीक्षक	160/–	260/–	300/–	500/–	400/–	600/–
4	वीक्षक	150/–	250/–	-	-	-	-
5	लिपिक	80/–per session	150/–	-	-	-	-
6	सहायक	60/–per	120/–	-	-	-	-

		कर्मचारी	session				

27 प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 19320 दिनांक 09–02–2024 के द्वारा पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में बकाया(ड्यू) प्रश्न पत्र का परीक्षा शुल्क रू. 650/– प्रति प्रश्न पत्र विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्धारित किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय **आदेश की पुष्टि की गई।**

28 प्रतिवेदित है कि के. आर. कन्या महाविद्यालय, संगरिया जिला–हनुमानगढ को मुख्य परीक्षा 2024 से स्नातक स्तर (नियमित) परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा स्वीकृत किया गया था। परीक्षा केन्द्र स्वीकृति हेतु जारी आदेश क्रमांक 15499 दिनांक 08–03–2024 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय **आदेश की पुष्टि की गई।**

29 शोधार्थी के कोर्सवर्क में प्रवेश से लेकर पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने तक विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली विभिन्न शुल्क तथा विभिन्न समितियों एवं विशेषज्ञों का मानदेय निर्धारित करने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आज्ञा की अनुपालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 629 दिनांक 14.06.2024 के द्वारा समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा राज्य कि विभिन्न विश्वविद्यालयों यथा– म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में निर्धारित विभिन्न शुल्क का अध्ययन किया गया। समिति की अनुशंषानुसार निम्नांकित शुल्क निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है :–

शोध से संबंधित ली जाने वाली विभिन्न फीस

क्र.स.	शुल्क का प्रकार	प्रस्तावित शुल्क (रूपये)
1.	कोर्सवर्क की फीस	10000
2.	कोर्सवर्क परीक्षा फीस	2500
3.	शोध प्रस्ताव मूल्यांकन व पंजीकरण फीस	10000
4.	संशोधित शोध प्रस्ताव मूल्यांकन फीस	3000
5.	1. शोध प्रबन्ध जमा हेतु समयावधि विस्तार फीस (प्रथम एक वर्ष)	8000
	2. महिला एवं विकलांग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शोध प्रबन्ध जमा हेतु समयावधि विस्तार फीस (द्वितीय वर्ष)	7000
6.	शोध प्रबन्ध मूल्यांकन फीस	17000
7.	1. संशोधित शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु फीस	5000
	2. विशिष्ट परिस्थितियों में तृतीय बाह्य परीक्षक द्वारा शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु फीस	5000
8.	द्वितीय मौखिक परीक्षा आयोजन फीस	11000
9.	पीएच.डी. का अस्थाई प्रमाण पत्र फीस	300
10	पांच बिन्दु प्रमाण पत्र फीस	500

विभिन्न समितियों व विशेषज्ञों को दिया जाने वाला मानदेय

क्र.स.	शुल्क का प्रकार	प्रस्तावित शुल्क (रूपये)
1.	शोध पर्यवेक्षक पंजीयन समिति (RSRC)	2000 प्रति विशेषज्ञ–प्रति बैठक
2.	शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति (RSAC)	2000 प्रति विशेषज्ञ–प्रति बैठक
3.	विभागीय शोध समिति (DRC)	200/– प्रति शोध प्रस्ताव (न्यूनतम 2000 रूपये प्रतिवि विशेषज्ञ एवं अधिकतम 3000 रूपये प्रतिदिन प्रति विशे
4.	रिसर्च बोर्ड	3000 प्रति सदस्य–प्रति बैठक
5.	* पीएच.डी. शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञ का मानदेय	2000 प्रति विशेषज्ञ
6.	पीएच.डी. मौखिक परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ का मानदेय	2000 प्रति विशेषज्ञ
7.	शोध अनुभाग से संबन्धित विभिन्न प्रकरणों हेतु	1500 प्रति सदस्य –प्रति बैठक

		गठित समिति सदस्यों का मानदेय		
	8.	कोर्सवर्क कक्षाओं हेतु विषय विशेषज्ञ का मानदेय	1500 प्रति 90 मिनट प्रति विशेषज्ञ	
	9.	कोर्सवर्क आयोजन समिति का मानेदय	पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा समिति के मानदेय हेतु जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 237 दिनांक 10.12.2018 के अनुसार	

* Foreign examiners shall be paid @ $100 per thesis.

समिति की अनुशंषा के आधार पर शोध से संबन्धित फीस व मानदेय के निर्धारण हेतु प्रस्ताव का एजेण्डा विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय **प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श कर शोध से संबंधित ली जाने वाली विभिन्न फीस का निम्नानुसार निर्धारण करते हुए तथा मानदेय का प्रस्तावनानुसार निर्धारण किया गया :—**

शुल्क का प्रकार	निर्धारित शुल्क (रूपये)
कोर्सवर्क की फीस	10000 / —
कोर्सवर्क परीक्षा फीस	2500 / —
शोध प्रस्ताव मूल्यांकन व पंजीकरण फीस / पुनः पंजीकरण	10,000 / —
संशोधित शोध प्रस्ताव मूल्यांकन फीस	3000 / —
शोध प्रबन्ध जमा हेतु समयावधि विस्तार फीस (प्रथम एक वर्ष)	8000 / —
महिला एवं विकलांग / दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शोध प्रबन्ध जमा हेतु समयावधि विस्तार फीस (द्वितीय वर्ष)	7000 / —
शोध प्रबन्ध मूल्यांकन फीस	15000 / —
संशोधित शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु फीस	5000 / —
विशिष्ट परिस्थितियों में तृतीय बाह्य परीक्षक द्वारा शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु फीस	5000 / —
द्वितीय मौखिक परीक्षा आयोजन फीस	10,000 / —
पीएच.डी. का अस्थाई प्रमाण पत्र फीस	300 / —
पांच बिन्दु प्रमाण पत्र फीस	500 / —

30 विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक विभागों में रिक्त 60 पदों पर भर्त्ती हेतु चयन के लिए विज्ञापन क्रमांक F03(01)T.Rec.)MGSU/Estt./2023/ 28277 Dated 02-02-2023 जारी किया गया था। तत्पश्चात् विधानसभा चुनाव आचार सहिता एवं अन्य कारणों से उपरोक्त आवेदन पर कार्यवाही नही होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व विज्ञापन की निरन्तरता में क्रमांक F03(01)T.Rec.)MGSU/Estt./2024/20036 Dated 26-02-2024 के द्वारा पुनः विज्ञापन जारी आवेदन आमंत्रित किये गए है। उल्लेखनीय है कि विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक दिनांक 22-11-2021 के विनिर्णय संख्या 48 की पालना में अनुशंसित पैनल की शार्टलिस्ट प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। परन्तु वर्तमान तक भर्त्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया गया है।

आगामी समय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्त्ती एवं सी.ए.एस. (केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम) की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (भर्त्ती हेतु चयन) अधिनियम, 1974 के प्रावधानानुसार चयन समिति में विषय विशेषज्ञों के मनोनयन हेतु विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाना है। विद्या परिषद् के समक्ष निम्नानुसार विभागों में चयन हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल प्रस्तुत है :-

1. पर्यावरण विज्ञान
2. अंग्रेजी
3. इतिहास

	4. सूक्ष्म जीव विज्ञान 5. कम्प्यूटर विज्ञान 6. भूगोल 7. विधि 8. ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग 9. ए.बी.एस.टी. 10. ई.ए.एफ.एम. 11. वाणिज्य एवं प्रबन्धन 12. एम.बी.ए. उपरोक्त पैनल विद्या परिषद् के अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा उपलब्ध पैनल से कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने हेतु पैनल के उपयोग करने की सहमति प्रदान की गई।**
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
31	विश्वविद्यालय परिसर में नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सूचना 1. B.Sc. Hospitality Management and Catering Science 2. PG Diploma in Cyber Security 3. Certificate course in Bio-fertilizers' Production 4. Certificate course in Bio-pesticides' Production 5. PG Diploma in Travel and Tourism Management 6. M.Sc. Zoology 7. M.Sc. Botany 8. Master of Physical Education & Sports
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की गई।**
32	**विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 17-05-2024 में महाराजा करणी सिंह खेल अवार्ड हेतु निर्धारित नियमों में निम्नानुसार संशोधन करने का अनुमोदन किया गया**

स्तर	श्रेणी	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	सहभागिता	कार्यालय उपयोग हेतु	
						Score	Formula
ओलम्पिक/पैरा ओलम्पिक	प्रथम	100	95	90	85		Score X 4
वर्ल्ड कप	द्वितीय	80	75	70	65		Score X 3
ऐशियन गेम्स/पैरा ऐशियन	तृतीय	60	55	50	45		Score X 2.5
कॉमन वेल्थ गेम्स	चतुर्थ	40	35	30	25		Score X 2
वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्स	पंचम	20	15	10	05		Score X 1.5
अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/ खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स	षष्ठम	08	05	03	–		Score X 0.5

उपरोक्त प्रमाण–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

नोटः

1. अवार्ड की न्यूनतम पात्रता अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी ही होंगे।
2. चयन समिति द्वारा अवार्ड का निर्धारण श्रेणी अनुसार उच्चतम से निम्नतम मानते हुए की जाएगी।

सत्यापन

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/खेल निदेशक (मयसील) — खिलाड़ी के हस्ताक्षर

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरविन्द बिश्नोई)
कुलसचिव